प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः: दिनांकः: 09 दिसम्बर, 2009

विषयः– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना एवं विसंगतियों का समयबद्ध रूप से आयोग को उत्तर प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में दिनांक 26.11.2009 को प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग एवं दिनांक 8.12.2009 को मुख्य सचिव के स्तर पर सम्पन्न समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निम्न निर्देशों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010 (पी.सी.एस. परीक्षा 2010) में सम्मिलित किये जाने वाले समस्त पदों के अधियाचन दिनांक 15.12.2009 तक विशेष वाहक के माध्यम से आयोग को उपलब्ध करा दिये जांय । यदि प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो भी तदानुसार आयोग को अवगत करा दिया जाय ।

(2) सीधी भर्ती/ पदोन्नति (सामान्य/बैकलाग) के अधियाचनों एवं अनुशासनिक कार्यवाही/ सेवा नियमावलियों से संबंधित प्रकरणों, जिनमें आयोग द्वारा कतिपय विसंगतियों को दूर करने का अनुरोध किया गया है, के संबंध में दिनांक 26.11.2009 को प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा आहूत समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यदि किसी विभाग द्वारा अभी तक आयोग की पृच्छाओं/ विसंगतियों का निराकरण न किया गया हो, तो उक्त विसंगतियों/ पृच्छाओं का निराकरण करते हुए, विलम्बतम दिनांक 15.12.2009 तक विशेष वाहक के माध्यम से आयोग को उत्तर प्रेषित कर दिया जाय ।

(3) उपर्युक्त से भिन्न अन्य परीक्षाओं से संबंधित अधियाचनों के संबंध में आयोग द्वारा अंकित की गयी विसंगतियों/ पृच्छाओं, जिनकी समीक्षा दिनांक 8.12.2009 को मुख्य सचिव द्वारा की गयी है के संबंध में भी समस्त पृच्छाओं/ विसंगतियों का निराकरण करते हुए, उसकी सूचना विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 15.12.2009 तक आयोग को उपलब्ध करा दी जाय ।

(4) आयोग की परिधि में आने वाले सीधी भर्ती/ पदोन्नति के पदों के समस्त अधियाचन पूर्व में निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार 02 वर्ष पूर्व आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय, ताकि आयोग द्वारा समय से चयन की कार्यवाही की जा सके ।

(5) दिनांक 15.12.2009 तक प्राप्त अधियाचनों एवं अन्य विसंगतियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा कर, आयोग द्वारा शासन को अवगत कराया जाय, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके ।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–15/9/2009(1)–का–4–2009, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव